


280/2021 1712 45 लखनऊ

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पक्ष अनुपस्थित। विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। चूंकि मूल आवेदन पत्र का निस्तारण हो चुका है, ऐसी सूरत में हस्तगत प्रार्थना पत्र आगे चलाने का औचित्य नहीं है। लिहाजा न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 2.11.2021 को निरस्त किया जाकर, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

